



**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**  
**Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan**  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (05)निकासि/नि.सं./2020/ 1154

दिनांक 14.9.2020

**आदेश**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियन, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन नियोगी महाविद्यालय नीति के अन्वयित रैकाणिक संत्र 2020-21 से 2022-2023 ( तीन संत्र ) तक स्नातक स्तर पर नवीन नियोगी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
प्रतीक फार्मडेशन सौसायटी, जी.एल.एम. कॉलेज, ग्राम-ग्राम-नाच, अलवर-गिराडी, नाच, अलवर-गिराडी, नेगा नेगा हाईवे, किशनगढ़ बास, हाईवे, किशनगढ़ बास, अलवर।	जी.एल.एम. कॉलेज, ग्राम-ग्राम-नाच, अलवर-गिराडी, नेगा नेगा हाईवे, किशनगढ़ बास, हाईवे, किशनगढ़ बास, अलवर।	राजपि भर्तृहरि भरत्य विश्वविद्यालय, अलवर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय— हिन्दी शाहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी शाहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सनातनशास्त्र, वित्रकला, संगीत, गृहविज्ञान, फिजिकल एज्यूकेशन। विज्ञान संकाय— भौतिकशास्त्र, गृहविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र। वाणिज्य संकाय— एवीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम। विज्ञान आनंद— गृहविज्ञान।

- संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार यह वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2023-24 में निर्वाचित आवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रबन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार रख्ये की भूमि पर रख्ये के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आयश्यकानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अविकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अपिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विषय महाविद्यालय के प्रकरण में बी.डी.ओ.आई.0 से मान्यता द विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुग्रहन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियारित योग्यतावारी अवैश्यानिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विष्यवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथ संख्या रीनो में ही प्रदेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- चार्ज सरकार की महाविद्यालय प्रदेश नीति 2020-21 तथा याद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.hte.rajasthan.gov.in](http://www.hte.rajasthan.gov.in) से संचियकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्वाचित आवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर निदेशालय को भेजेगी।
- नन्द संसाधन विकास बोर्डलय, भारत संरक्षक के वेबपोर्टल [WWW.aishne.nic.in](http://WWW.aishne.nic.in) पर महाविद्यालय को चिकिट्सक DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तव्यादी हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सचिव, गा.० ब्लॉक शिक्षा नीति महाविद्या, राजस्थान, जयपुर।
- नियोगी सचिव, शासन सचिव, सच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- नियोगी सचिव, निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- प्रिंसिपल कलेक्टर, अलवर।
- कुश सचिव, राजपि भर्तृहरि भरत्य विश्वविद्यालय, अलवर।
- सार्वाधित संस्था/महाविद्यालय।
- सार्विकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निकित पत्रावती।

उम्मीद  
संयुक्त-निदेशक (नि.सं.०)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर